



वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(कुलसचिव कार्यालय, स्थापना अनुभाग)

क्रमांक:एफ.2/वमखुविवि/स्था./023/2640

दिनांक:-13, -04-2023


कार्यालय आदेश

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किये गये कार्यालय आदेश क्रमांक:वमखुविवि/स्था./023/2558 दिनांक 24.3.2023 को संशोधित करते हुए यू0जी0सी0 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में निम्नलिखित सदस्यों की एन्टी रेगिंग समिति (Anti-ragging committee) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. श्री नीरज अरोड़ा, - सदस्य
सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइन्स
2. श्री सुशील राजपुरोहित - सदस्य
सहायक आचार्य (भौतिक विज्ञान)
3. श्री राकेश शर्मा, - सदस्य
सहायक आचार्य (कम्प्यूटर साइन्स)
4. डॉ0 अकबर अली, - सदस्य
सहायक आचार्य (लोक प्रशासन)
5. डॉ0 (श्रीमती) अनुराधा दुबे - सदस्य
सहायक आचार्य (वनस्पति शास्त्र)
6. डॉ0 दिलीप कुमार शर्मा - सदस्य
निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र
(श्री डी0के0 सिंह, उप कुलसचिव
लेखा एवं वित्त विभाग के स्थान पर)


उक्त समिति बैठक का आयोजन करते हुए रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन करते हुए रूपरेखा तैयार करते हुए आगे की कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे।

श्री राकेश शर्मा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइन्स को समिति का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


13/4/23
कुलसचिव
9/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, कुलपति सचिवालय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-4) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
4. निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, उदयपुर।
5. समिति सदस्य -----।
6. श्री डी0के0 सिंह, उप कुलसचिव, लेखा एवं वित्त विभाग, वमखुविवि, कोटा, पूर्व समिति सदस्य।
7. रक्षित पत्रावली।


13/4/23
कुलसचिव
9/10